परिशिष्ट- IV

(निविदा सूचना क्रमांक ते.प.(2017)- I दिनांक 09.11.2016 का परिशिष्ट)

क्रेता का करारनामा

(निविदा सूचना की शर्त क्रमांक -7)

यह करार आज दिनांक .....माह.....सन्.....को प्रथम पक्ष छत्तीसगढ़ के राज्यपाल जो विलेख के प्रयोजन के लिए मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, ... वृत (जो इसके पश्चात् मुख्य वन संरक्षक के नाम से निर्दिष्ट है) के माध्यम से कार्य कर रहे हैं (जहां संदर्भ में ऐसा ग्राहय हो, उसके कार्यालयीन उत्तराधिकारी सम्मिलित होंगे) तथा द्वितीय पक्ष के श्री..... आत्मज .....निवासी.....ग्राम.....और जो (1) श्री.....(2) श्री ....(3) श्री ..... के साथ ....स्थित कम्पनी, जिसका नाम .....है तथा जो इंडियन कंपनी एक्ट, 1913 (7-1913), कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का सं. 1) के अधीन पंजीकृत है तथा जिसका पंजीकृत कार्यालय .....में स्थित है, के साथ भागीदारी में कारोबार कर रहे हैं, जो इसमें इसके पश्चात् क्रेता के नाम से विनिर्दिष्ट है (जिस अभिव्यक्ति में, जब तक संदर्भ में इस प्रकार ग्राहय न हो, उसके दायद, उत्तराधिकारी, निष्पादक और उनके उत्तरजीवी, अंतिम उत्तरजीवियों के दायद, निष्पादक तथा प्रशासक उक्त कंपनी का तत्कालीन भागीदार, उसके उत्तराधिकारी सम्मिलित होंगे) के बीच किया गया जाता है (उन शब्दों को काट दिया जाए जो लागू न हो)

चूँकि छत्तीसगढ़ राज्य में तेंदूपत्ते का व्यापार, छत्तीसगढ़ तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1964 (क्रमांक 29/1964) के उपबंधों तथा उक्त अधिनियम के अधीन बनाई गई छत्तीसगढ़ तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) नियमावली, 1966, भारतीय वन अधिनियम, 1927 और उसके अधीन बनाये गए नियमों तथा उनके कानूनी उपांतरणों, जहां तक वे ऐसे व्यापार को लागू है, द्वारा विनियमित होता है, और चूँकि राज्य शासन ने तेंदूपत्ते के संग्रहण व निर्वर्तन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित को अभिकर्ता नियुक्त किया है और संघ ने वर्ष 2017 में छत्तीसगढ़ राज्य में एकत्रित किये जाने वाले तेंदूपत्ते के अग्रिम विक्रय के लिए अपनी निविदा सूचना क्रमांक ते.प.(2017)-I दिनांक 09.11.2016 के द्वारा निविदायें आमंत्रित की थी, और क्रेता लॉट क्रमांक ..... (अंको में) ....(शब्दों में) समिति का नाम ..... एवं अधिसूचित मात्रा ..... (अंको में)..... (शब्दों में) और जिसको कथित निविदा सूचना की अनुसूची क तथा ख में और पूर्णतया वर्णित किया गया है, के तेंदूपत्ते के क्रय के लिए की गई प्रस्तावित दर इसमें इसके पश्चात् दर्शाये गये निबंधनों एवं शर्तों पर स्वीकार की गई हैं और उसे इस कथित तेंदूपत्ते का दिनांक 31.03.2018 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए क्रेता नियुक्त करने के लिए वह सहमत हो गया है,

अब यह प्रलेख निम्नलिखित बातों का साक्षी है और संबंधित पक्ष एतद् द्वारा निम्नलिखित रूप से परस्पर करार करते हैं :-

1. **क्रेता करारनामा की अवधि** -

यह करार दिनांक..... से प्रारम्भ होगा और दिनांक 31.03.2018 तक प्रवृत्त रहेगा जब तक कि इस करार के निबंधनों तथा शर्तों के अनुसार पूर्व में ही इसे समाप्त न कर दिया जाए ।

2. **करारनामे के भाग** -

इस करार के संबंध में यही और सदैव यही समझा जावेगा कि वह छत्तीसगढ़ तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1964 के, और उसके अधीन बनाये गये नियमों के, और उक्त अधिनियम तथा नियमों के अधीन समय-समय पर जारी किए गए आदेशों तथा अधिसूचनाओं तथा इस निविदा सूचना के निबंधनों तथा शर्तों के तथा इस निविदा सूचना के परिशिष्ट-I में उल्लेखित सामान्य/अन्य निबंधनों एवं शर्तों तथा निविदाकारों के लिए निर्देशों के जो सब इस करार के भाग होंगे, और इसके भाग बन गये समझे जावेंगे, और जिनका अर्थ लगाया जायेगा कि इस प्रलेख में विनिर्दिष्ट रूप से उपबंधित है, उपबंधों के अध्यधीन है ।

3. **क्रय दर आदि** -

क्रेता इस लाट में संग्रहित/क्रय होने वाली मात्रा को जो कि अधिसूचित मात्रा से कम या अधिक हो सकती है को रु..... (अंकों में) ..... (शब्दों में) प्रति मानक बोरा की क्रय दर पर क्रय करेगा । लाट के क्रय मूल्य के अतिरिक्त क्रेता समय-समय पर प्रवृत्त वन विकास उपकर, मूल्य संवर्धित कर एवं सरचार्ज तथा अन्य कर/उपकर भी अदा करेगा ।

4. **संग्रहण/क्रय एवं संग्रहण/क्रय व्यय के भुगतान एवं तेन्दूपत्ते के फड़ पर परिदान की प्रक्रिया** -

(I) (अ) क्रेता जिला यूनियन की प्राथमिक वनोपज समिति ..... जिसे अनुसूची ''क'' व ''ख'' में अधिक पूर्णता से वर्णित किया गया है, की अनुसूची ख में दर्शायी समस्त फड़ों पर तथा प्रबंध संचालक जिला यूनियन द्वारा निर्धारित किसी अतिरिक्त फड़ पर प्राथमिक समितियों द्वारा या प्रबंध संचालक जिला यूनियन के द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा संग्रहित/क्रय किये गये हरे तेन्दूपत्ते का फड़ पर परिदान संग्रहण की तिथि से अगले दो दिवस तक प्राप्त करेगा । क्रेता सीधे स्वयं संग्राहकों/निजी उत्पादकों को संग्रहण दर/क्रय मूल्य का भुगतान कर तेन्दूपत्ता कदापि प्राप्त नहीं करेगा ।

नोट :- क्रेता प्राथमिक समिति द्वारा उसको दी जाने वाली प्रति मानक गड्डी जिसमें बीड़ी बनाने योग्य 50 तेन्दूपत्ते होंगे, में 2 पत्तों की कमी या वेशी बाबत् कोई आपत्ति नहीं उठायेगा ।

(ब) क्रेता केवल उपरोक्त 4 (I) (अ) में निर्धारित फड़ों पर ही तेन्दूपत्ता का परिदान प्राथमिक समिति से प्राप्त करेगा । अनाधिकृत फड़/स्थल पर उपलब्ध पत्ता इस अधिनियम एवं इस करारनामे के तहत् की जाने वाली अन्य किसी कार्यवाही पर विपरीत प्रभाव डाले बिना राजसात किया जावेगा ।

(स) किसी भी समिति क्षेत्र में आरक्षित/संरक्षित वन सीमा के अन्दर, वनग्राम या चट्टानी क्षेत्र/नदी नाले के बालू युक्त भाग को छोड़कर, अन्य स्थानों में संग्रहण केन्द्र खोलने की अनुमति प्रबन्ध संचालक, जिला यूनियन द्वारा नहीं दी जा सकेगी । स्वीकृति संग्रहण केन्द्र किसी भी दशा में ग्राम की बसाहट से आधा किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थापित नहीं किये जा सकेंगे । आरक्षित/संरक्षित वन सीमा के अन्दर उपरोक्त स्थलों को छोड़कर, अन्य स्थानों पर विशेष परिस्थितियों में यदि आवश्यक हो तो सम्बन्धित प्रबन्ध संचालक, जिला यूनियन की अनुशंसा पर संबंधित मुख्य वन संरक्षक द्वारा संग्रहण केन्द्र खोलने की अनुमति दी जा सकेगी ।

(II) प्राथमिक समिति शासकीय वनों तथा भूमियों से शासन द्वारा निर्धारित प्रति मानक बोरा की दर से संग्राहक को भुगतान कर तेन्दूपत्ता संग्रहण करेगी एवं संग्रहणकाल के दौरान निजी उत्पादकों से हरा कच्चा बिना बोरों में भरा तेन्दूपत्ता शासन द्वारा निर्धारित प्रति मानक बोरा की दर से क्रय करेगी ।

(III) क्रेता को प्रत्येक संग्रहण केन्द्र (फड़) पर एक प्रतिनिधि रखना होगा । क्रेता ऐसे प्रतिनिधियों की सूची, फड़ का नाम, उनके हस्ताक्षर के प्रमाणित नमूनें, पता एवं फोटो सहित दो प्रतियों में प्रबंध संचालक जिला यूनियन को दिनांक 17.04.2017 तक प्रस्तुत करेगा । यदि प्रबंध संचालक जिला यूनियन द्वारा किसी प्रतिनिधि को कार्य से पृथक करने हेतु निर्देशित किया जाता है तो क्रेता तत्काल उसे इस करारनामे के अधीन किसी भी कार्य करने से पृथक करेगा ।

(IV) संग्रहण काल के दौरान प्रत्येक फड़ पर प्रतिदिन संग्रहित होने वाली मात्रा की जानकारी प्राथमिक समिति से फड़ पर प्राप्त करने का उत्तरदायित्व क्रेता के प्रतिनिधि का होगा । क्रेता के प्रतिनिधि को संग्रहण पुस्तिका में दर्शाये विवरण के आधार पर तेन्दूपत्ते का परिदान लेना होगा एवं तेन्दूपत्ते का परिदान लेने के तुरन्त बाद उसकी रसीद प्रबंध संचालक जिला यूनियन द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्राथमिक समिति के प्रतिनिधि को देना होगी । क्रेता

के द्वारा परिदान प्राप्त किया हुआ पत्ता तथा संग्रहण पुस्तिका में विवरण दर्ज होने के उपरांत इस विवरण के अनुसार संग्रहण तिथि के दो दिवस बाद से परिदान न प्राप्त किया गया तेन्दूपत्ता क्रेता के जोखिम पर संग्रहण केन्द्र पर रहेगा ।

(V) केता प्राथमिक समिति द्वारा परिदान दिये जाने वाले तेन्दूपत्ते को प्राप्त करने से मना नहीं करेगा जब तक कि पत्ता बीड़ी बनाने के अयोग्य है । क्रेता के द्वारा अस्वीकार किये गये पत्ते पृथक से फड़ पर प्राथमिक समिति के द्वारा रखे जावेंगे तथा उप वनमंडल अधिकारी/वनमंडल अधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी के निरीक्षण के लिये प्रस्तुत किये जावेंगे । निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा अपना निर्णय क्रेता के प्रतिनिधि को फड़ पर ही सौंप दिया जावेगा जो कि अन्तिम एवं क्रेता पर बन्धनकारी होगा तथा यदि निर्णय के अनुसार पत्ता बीड़ी बनाने के योग्य है, तो इस मात्रा को भी देय किश्तों की गणना में सम्मिलित किया जावेगा । क्रेता यदि निर्णय के अगले दो दिवस के भीतर पत्तों का परिदान नहीं लेता है तो तेन्दूपत्ता क्रेता के जोखिम पर रहेगा तथा कंडिका (VI) के अनुरूप कार्यवाही की जा सकेगी ।

(VI) यदि क्रेता शर्त क्रमांक 4(I)(अ) अथवा 4(V) में निर्धारित अवधि के भीतर पत्तों का परिदान नहीं लेता है, तब क्रेता करारनामे में उल्लंघन के लिये की जाने वाली कार्यवाही के अतिरिक्त

(अ) प्रबंध संचालक जिला यूनियन ऐसे पत्ते को क्रेता को ही निगरानी शुल्क बतौर रूपये 50.00 प्रति मानक बोरा अतिरिक्त धनराशि की वसूली करने के पश्चात् फड़ पर परिदान कर सकेगा । निगरानी शुल्क के अतिरिक्त यदि यथास्थित संघ, प्राथमिक समिति या जिला यूनियन ऐसे पत्तों की, जो कि क्रेता को बाद में परिदत्त किये जायें, सुखाई, बोरों में भराई तथा परिवहन आदि का कार्य करते हैं, तो प्रबंध संचालक जिला यूनियन द्वारा निर्धारित सुखाई, बोरों की कीमत, बोरों में भराई तथा परिवहन आदि का व्यय क्रेता भुगतान करेगा तथा व्यय के संबंध में प्रबंध संचालक जिला यूनियन का निर्णय अंतिम तथा बंधनकारी होगा ।

अथवा

(ब) ऐसे पत्ते का निर्वर्तन संघ विक्रय से कर सकता है तथा हानि की राशि क्रेता से वसूल कर सकता है ।

(VII) यदि अधिसूचित मात्रा से अधिक मात्रा का परिदान संग्रहण केन्द्रों पर प्राथमिक समितियों द्वारा क्रेता को दिया जाता है तो वह संग्रहण केन्द्र पर परिदान लेने के लिये बाध्य है ।

(VIII) क्रेता हरे पत्ते का परिदान प्राप्त करने के उपरांत उसका समस्त उपचार, बोरों में भराई, हम्माली, परिवहन एवं गोदामीकरण का कार्य स्वयं करेगा एवं इन कार्यों पर आने वाला व्यय क्रेता ही वहन करेगा । 44'' X 56'' नाप के वास्तविक बोरा में गड्डीयों की संख्या किसी भी दशा में 500 से कम नहीं होगी । फड़ों पर पत्ते की दीमक एवं अन्य कीटों से रक्षा करने के लिए फड़ का उपयुक्त कीटनाशक से उपचार करने का दायित्व भी क्रेता का है । अतः संग्रहण एवं परिदान के बीच की अवधि में दीमक या अन्य कीट से होने वाली क्षति का दायित्व क्रेता का ही होगा ।

(IX) प्राथमिक समितियों के सीमा विवाद के संबंध में प्रबंध संचालक जिला यूनियन का निर्णय अंतिम एवं क्रेता पर बंधनकारी होगा ।

(X) यदि प्रबंध संचालक, जिला यूनियन द्वारा क्रेता को बोरे तथा सुतली की मात्रा, स्वविवेक से प्रदाय हेतु सूचित की जाती है तो क्रेता उसे प्रबंध संचालक जिला यूनियन द्वारा निर्धारित दर पर भुगतान कर प्राप्त करने के लिये बाध्य होगा । क्रेता को जिला यूनियन द्वारा उपरोक्तानुसार प्रदाय किये जाने वाले बोरों एवं सुतली के लिये राशि प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ मर्यादित के नाम से जिला यूनियन के लिये परिशिष्ट VI में दर्शाये स्थान पर देय किसी भी अनुसूचित बैंक के बैंक ड्राफ्ट/डिमांड

ड्राफ्ट के रूप में मय कर/उपकर दिनांक 01.05.2017 तक भुगतान करना होगा । पूर्ण भुगतान उपरांत ही क्रेता वास्तव में सुतली एवं बोरे प्राप्त कर सकेगा ।

(XI) क्रेता द्वारा जिला यूनियन द्वारा प्रदाय किये गये बोरों पर पूर्व से अंकित मार्का बोरा भरने के पूर्व स्पष्टतः काट दिया जावेगा । यदि परिवहन के दौरान कोई ऐसा बोरा बिना मार्का काटे पाया जाता है तो वह अवैध संग्रहण एवं परिवहन मानकर जप्ती योग्य होगा । क्रेता को जिला यूनियन द्वारा प्रदाय किये गये बोरे तथा स्वयं के द्वारा क्रय किये गये बोरे पर संग्रहण वर्ष, जिला यूनियन का नाम, प्राथमिक समिति का नाम, क्रेता का नाम, फड़ का नाम, फड़ का बोरा क्रमांक तथा गडिड्यों की संख्या हरा रंग से स्पष्ट अंकित करना होगा । गोदाम में काले रंग से गोदाम का बोरा क्रमांक स्पष्ट अंकित करना होगा ।

5. अतिरिक्त प्रतिभूति राशि का भुगतान -

यदि संग्रहित मात्रा अधिसूचित मात्रा से 10 प्रतिशत से अधिक है तो संग्रहित मात्रा के आधार पर परिगणित क्रय मूल्य की राशि की 25 प्रतिशत प्रतिभूति निक्षेप हेतु अतिरिक्त राशि की नगद तथा बैंक गारंटी की राशि, क्रेता के द्वारा गोदामीकरण की स्थिति में गोदाम से आंशिक / पूर्ण पत्ता मुक्त होने या दिनांक 17.07.2017 में जो पहले हो तथा फड़ से पत्ता मुक्त कराने की स्थिति में अतिरिक्त पत्ता मुक्ति के आदेश के जारी होने से पूर्व भुगतान करना होगी । विलम्ब से भुगतान करने की दशा में 0.035 प्रतिशत प्रति दिन की दर से ब्याज देय होगा ।

6. पत्तों की निकासी एवं क्रेता के द्वारा शेष देय राशि का भुगतान -

(1) (क) यदि क्रेता चाहे तो वह अधिसूचित मात्रा के आधार पर समस्त अवशेष देय राशि का भुगतान कर फड़ से अधिसूचित मात्रा तक तेन्दूपत्ता जहां ले जाना चाहे, उसके लिए गोदाम का स्थान व पूर्ण पता तथा गोदाम मालिक का नाम, दूरभाष व पूर्ण पता की जानकारी प्रबंध संचालक जिला यूनियन को देकर अधिनियम, नियमावली के प्रावधानों के अनुरूप परिवहन अनुज्ञा पत्र प्राप्त कर ले जा सकता है । इस समस्त अवशेष देय राशि में संघ को इस करारनामे के अंतर्गत देय क्रय मूल्य एवं देय समस्त कर सम्मिलित होंगे । संग्रहित मात्रा के अधिसूचित मात्रा से अधिक होने की दशा में अतिरिक्त अवशेष देय राशि के भुगतान के उपरांत ही तेन्दूपत्ते को फड़ से परिवहन करने की अनुमति दी जावेगी ।

(ख) यदि क्रेता समस्त अवशेष देय राशि भुगतान कर तेन्दूपत्ते को फड़ से मुक्त नहीं कराना चाहे और देय राशि को किश्तों में पटाने की सुविधा प्राप्त करने की दृष्टि से पत्ते को छत्तीसगढ़ प्रदेश के भीतर क्रेता एवं संघ के दोहरे ताले में गोदाम में रखने के लिए लिखित इच्छा दिनांक 17.04.2017 या क्रेता नियुक्ति आदेश की तिथि से 21 दिवस की अवधि में से जो भी बाद में हो, तक व्यक्त करता है तो उसे जिला यूनियन के प्रबंध संचालक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा इस विशिष्ट उद्देश्य के लिये अनुमोदित निजी गोदाम में जिसका किराया उसे देना होगा, निरापद रखने के लिए अनुमति इस अधिसूचना के साथ संलग्न गोदाम किराये का त्रिपक्षीय करारनामा (परिशिष्ट VIII) निष्पादन किये जाने पर ही दी जावेगी । फड़ों से गोदाम तक पत्तों के परिवहन की अनुमति इसके उपरान्त दी जावेगी । क्रेता का यह दायित्व होगा कि फड़ पर परिदान प्राप्त की गई पूर्ण मात्रा का गोदामीकरण दोहरे ताले में दिनांक 30.06.2017 तक करें । तेन्दूपत्ते के गोदाम में निरीक्षण के लिये दीवाल से न्यूनतम 2 फीट की दूरी पर ही स्टेक्स् लगाये जावेंगे । यदि प्रबंध संचालक, जिला यूनियन दिनांक 31.03.2017 या क्रेता नियुक्ति आदेश की तिथि से 15 दिवस की अवधि में से जो भी बाद में हो, तक पत्र जारी कर निर्देशित करता है कि क्रेता वन विभाग/संघ/प्राथमिक समिति/अन्य के गोदाम को किराये पर लेवे तो परिशिष्ट VIII में करारनामा निष्पादन करना आवश्यक नहीं होगा तथा क्रेता उसको रु. 30/- प्रति वास्तविक बोरा किराये पर लेने के लिये बाध्य होगा तथा गोदाम में पत्ता दिनांक 15.04.2018 तक रख सकेगा, परन्तु यदि क्रेता चाहे तो रु. 30/- प्रति वास्तविक बोरा का भुगतान कर पत्ते को अपने गोदाम में क्रेता एवं संघ के दोहरे ताले में भंडारित कर सकेगा । क्रेता को प्रबंध संचालक जिला यूनियन द्वारा निर्धारित भंडारण क्षमता के आधार पर गोदाम किराये का एक मुश्त भुगतान दिनांक 15.05.2017 तक करना होगा ।

(ग) प्रबंध संचालक जिला यूनियन के द्वारा निर्धारित गोदाम प्रभारी/अधिकृत व्यक्ति के द्वारा उपरोक्त शर्त क्रमांक 6(I) (क) के अनुसार राज्य के बाहर / भीतर भंडारित किये जाने के पूर्व तथा शर्त क्रमांक 6(I) ख के

अनुसार राज्य के भीतर दोहरे ताले में भंडारित किये जाने के पूर्व गोदाम परिसर में तेन्दूपत्ता के बोरों में गड्डियों की संख्या की जांच के लिए प्रत्येक ट्रिप में 5 प्रतिशत बोरों की गड्डी गिनकर सत्यापित की जावेगी तथा सत्यापन का पंचनामा तैयार किया जावेगा । सत्यापन में प्रत्येक फड़ के अनुपातिक संख्या में बोरे सम्मिलित किये जावेंगे । फड़वार गिनती के दौरान गड्डियों की संख्या में औसत अधिकता जितने प्रतिशत आवेगी वह अधिकता उस फड़ से आये ट्रिप के सभी बोरों के लिए मान्य की जावेगी जिसके लिये क्रेता को क्रेता करारनामें के अन्तर्गत किसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अतिरिक्त मात्रा हेतु क्रय मूल्य एवं देय करों का अतिरिक्त भुगतान करना होगा । सत्यापन के लिए मजदूर क्रेता के द्वारा उपलब्ध कराये जावेंगे परन्तु आवश्यकतानुसार संघ भी मजदूर लगा सकेगा तथा सत्यापन का व्यय जिसका निर्धारण प्रबन्ध संचालक जिला यूनियन द्वारा किया जावेगा, क्रेता के द्वारा भुगतान सूचना पत्र जारी होने की तिथि के 21 दिवस के भीतर किया जावेगा ।

(घ) क्रेता देय राशि अर्थात् देय करों सहित पूर्ण क्रय मूल्य का भुगतान प्रबंध संचालक जिला यूनियन के कार्यालय में चार बराबर किश्तों में, परिशिष्ट I की शर्त क्रमांक 13 में दर्शाये अनुसार निम्न तिथियों को या उसके पूर्व करेगा ।

किश्त	**किश्त की तिथि**
प्रथम	05.10.2017
द्वितीय	21.11.2017
तृतीय	05.01.2018
चतुर्थ	20.02.2018

(2) सम्पूर्ण क्रय मूल्य के भुगतान पर रिबेट-

यदि क्रेता द्वारा प्रथम किश्त की देय दिनांक तक किसी लाट का सम्पूर्ण क्रय मूल्य समस्त देय करों सहित भुगतान किया जाता है तो क्रय मूल्य की राशि के 2% के बराबर राशि की छूट दी जावेगी । यदि क्रेता इस सुविधा का लाभ उठाना चाहता है, तो वह सम्पूर्ण क्रय मूल्य की 98% राशि तथा सम्पूर्ण क्रय मूल्य (100%) पर समस्त देय करों की राशि का भुगतान करेगा । यदि अधिसूचित मात्रा से अधिक/कम संग्रहण होता है तो यह छूट संग्रहित मात्रा के लिये प्राप्त होगी ।

(3) दोहरे ताले में भंडारीकरण की दशा में क्रेता के द्वारा एक किश्त का भुगतान करने पर उसे गोदाम से एक चौथाई तेंदूपत्ता ले जाने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा । यदि क्रेता के द्वारा फड़ पर किसी मात्रा का परिदान प्राप्त नहीं किया गया है, या फड़ पर परिदत्त किसी मात्रा का दोहरे ताले में गोदामीकरण नहीं किया गया है तो क्रेता द्वारा भुगतान की गई किश्त की राशि का समायोजन सर्वप्रथम इन मात्राओं के मूल्य के विरूद्ध किया जावेगा । किश्तों का या अन्य किसी देय राशि का भुगतान निर्धारित तिथि तक न करने पर 0.035 प्रतिशत प्रति दिन की दर से विलंबित भुगतान पर ब्याज वसूल किया जावेगा । यदि किसी किश्त की देय तिथि को सार्वजनिक अवकाश रहता है, तो ब्याज की गणना के लिये देय तिथि आगामी कार्य दिवस मानी जावेगी ।

(4) दोहरे ताले में भंडारीकरण की दशा में पत्ते क्रेता की अभिरक्षा, देखरेख, पर्यवेक्षण तथा जोखिम पर, लेकिन प्रबंध संचालक, जिला यूनियन के नियंत्रण में रखे जाएंगे और इस शर्त पर कि गोदाम में संघ का ताला लगाकर अथवा किसी ऐसी अन्य प्रक्रिया, जैसी कि प्रबंध संचालक, जिला यूनियन ने आदेशित की हो, के अनुसार अभिगमन तथा नियंत्रण रखने का पूर्ण अधिकार होगा ।

(5) क्रेता को प्रारम्भ में गोदाम के अंदर रखे जाने वाले तेन्दूपत्ते का बीमा अग्नि एवं चोरी आदि से होने वाली संभावित हानि के लिये अनिवार्य रूप से कराना होगा । अधिसूचित मात्रा के लिए क्रय मूल्य एवं देय कर के योग की राशि का दिनांक 21.04.2017 से 30.04.2018 तक की अवधि का बीमा कराकर बीमा पालिसी की सत्यापित फोटो प्रति दिनांक 21.04.2017 तक क्रेता प्रबंध संचालक जिला यूनियन के कार्यालय में सौंपेगा । अधिसूचित मात्रा से अधिक संग्रहण होने की दशा में दिनांक 16.06.2017 या फड़ से परिवहन प्रारंभ होने में जो भी पहले हो तक अतिरिक्त राशि की दिनांक 30.04.2018 तक की अवधि की बीमा पालिसी की सत्यापित

फोटो प्रति प्रबंध संचालक जिला यूनियन के कार्यालय में क्रेता सौंपेगा । इसके अतिरिक्त क्रेता यह भी सुनिश्चित करेगा कि तेन्दूपत्ते का बीमा ऐसी राशि के लिये होगा, जो क्रेता के ऊपर बकाया देय राशि से किसी भी समय कम नहीं होगा । फड़/गोदाम से परिवहन अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने की अनुमति अथवा जिला यूनियन कार्यालय से परिदान आदेश प्राप्त करने की अनुमति निर्धारित राशि की बीमा पालिसी क्रेता के द्वारा प्रबंध संचालक जिला यूनियन कार्यालय में दिये जाने पर ही होगी । अग्नि या चोरी की दुर्घटना के कारण यदि कोई हानि होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति बीमा कंपनी के द्वारा सीधे संघ को देय होगी और इस प्रकार का प्रावधान प्रबंध संचालक, जिला यूनियन की संतुष्टि के अधीन क्रेता को बीमा पालिसी में कराना होगा । यह गोदामीकरण सुविधा की विशिष्ट शर्तें हैं । यदि किसी भी कारण बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति की रकम संघ को अदा नहीं करती तो क्रेता उसके भुगतान के लिए बाध्य होगा । यदि बीमा कंपनी द्वारा किये गये भुगतान तथा देय राशि में कोई अंतर है तो यह क्रेता अदा करेगा । यदि किश्तों की निर्धारित तिथि के पश्चात क्षतिपूर्ति भुगतान प्राप्त होता है तो क्रेता देय राशि पर 0.035 प्रतिशत प्रति दिन की दर से ब्याज अदा करेगा ।

7. **बैंक गारंटी के विरूद्ध पत्ते के परिदान की सुविधा-**

(क) निविदा सूचना की कंडिका 9 (II) के प्रावधान के अध्यधीन यदि क्रेता बैंक गारंटी के विरूध्द पत्ते के परिदान की सुविधा का लाभ उठाना चाहता है तो वह क्रय मूल्य के 30 प्रतिशत के बराबर राशि की किसी अनुसूचित बैंक की गारंटी प्रथम किस्त की देय तिथि से पूर्व दे सकेगा । ऐसी स्थिति में क्रेता के द्वारा पत्ते का परिवहन केवल गोदाम से ही किया जा सकेगा, न कि फड़ से । पत्तों का परिवहन निम्नानुसार एवं निम्न शर्तों तथा निबंधनों के अधीन किया जाएगाः-

(I) बैंक गारंटी दिनांक 30.04.2018 तक वैध हो तथा इसकी पुष्टि बैंक द्वारा हो गई हो । गारंटी प्रबंध संचालक, जिला यूनियन के पक्ष में होगी ।

(II) बैंक गारंटी की पुष्टि होने के पश्चात उसे एक चौथाई पत्ते की निकासी / परिवहन की अनुमति दी जाएगी, परंतु ऐसा करने के पूर्व प्रथम किश्त से संबंधित देय कर कंडिका -8 के अनुसार उससे वसूल कर लिया जाएगा ।

(III) क्रेता के द्वारा शर्त क्रमांक-6 1 (ग) के अनुसार परिगणित प्रथम किश्त कर सहित पटाने पर उसे एक चौथाई पत्ता और दे दिया जाएगा और इसी प्रकार दूसरी किश्त पटाए जाने पर उसे शेष एक चौथाई पत्ता दे दिया जाएगा और तद्नुसार

(ख) (I) क्रेता के द्वारा किसी भी किश्त की रकम समय पर न पटाने पर उसके द्वारा दी गई बैंक गारंटी का नकदीकरण कर लिया जाएगा तथा बैंक से रकम प्राप्त होने तक देय किश्त की रकम पर 0.035 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से ब्याज भी बैंक गारंटी से वसूल किया जाएगा । अंतिम किश्त के भुगतान के उपरांत बैंक गारंटी मुक्त कर दी जावेगी ।

(II) बैंक गारंटी प्रस्तुत करने से क्रेता, संघ को वह देय राशि जिस हेतु बैंक गारंटी दी गई है के भुगतान किये जाने के उत्तरदायित्व अथवा बाध्यता से मुक्त नहीं होगा । संघ के बैंक गारंटी के नगदीकरण के अधिकार पर कोई विपरीत प्रभाव डाले बिना संघ को समस्त देय राशि के भुगतान का पूर्ण उत्तरदायित्व क्रेता का है ।

(III) यदि संघ उसको देय किसी भी राशि को बैंक गारंटी के किसी भी कारण से नगदीकरण न होने की वजह से वसूल नहीं कर पाता है, तो ऐसी देय राशि क्रेता के द्वारा भुगतान योग्य होगी और उसके द्वारा ऐसा भुगतान न करने पर ऐसी राशि संघ के बैंक गारंटी के नगदीकरण के अधिकार पर किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव डाले बिना भू-राजस्व की बकाया के बतौर वसूली योग्य होगी और ऐसी राशि क्रेता की अन्य ऐसी राशि जो कि संघ के पास इस करारनामों के प्रावधानों के अंर्तगत उपलब्ध हो या संघ एवं क्रेता के बीच अन्य किसी प्रचलित करारनामे अथवा भविष्य में निष्पादित किए जाने वाले करारनामे के अंर्तगत संघ के पास उपलब्ध हो, से भी वसूली योग्य होगी ।

(IV) इस करारनामे के अंर्तगत दी गई बैंक गारंटी का यदि नगदीकरण किसी भी कारण से नहीं होता है जिसके फलस्वरूप संघ को देय राशि प्राप्त नहीं होती है तो इसे इस करारनामे का विशिष्ट उल्लंघन माना जाएगा, जिसके कारण यह करारनामा समाप्त किया जा सकेगा और क्रेता को 5 वर्ष की कालावधि तक के लिये काली सूची में मुख्य वन संरक्षक के द्वारा दर्ज किया जा सकेगा एवं क्रेता करारनामे की कंडिका 14 के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी ।

(V) इस कंडिका के प्रयोजन हेतु बैंक गारंटी निविदा सूचना के साथ संलग्न परिशिष्ट (V) में दिए गए प्रारूप में प्रस्तुत की जाऐगी ।

8. **करों का भुगतान-**

(I) इस करार के अधीन संघ को देय कोई भी किश्त अथवा राशि तब तक दी गई नहीं मानी जायेगी, जब तक उस पर देय समस्त करों का भी भुगतान न कर दिया जाए ।

(II) क्रेता छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2005 तथा उसके यथा संशोधित उपबंधों के अनुसार मूल्य संवर्धित कर तथा वन विकास उपकर का भुगतान परिशिष्ट I की शर्त क्रमांक 13 में दर्शाये विवरण के अनुसार करेगा ।

(III) क्रेता, जब तक उसे आयकर प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में छूट नहीं दे दी गई हो, आयकर अधिनियम 1961 तथा उसके यथा संशोधित उपबंधों के अनुसार आयकर का भुगतान उपरोक्तानुसार प्रबंध संचालक, जिला यूनियन के कार्यालय में करेगा ।

9. **विक्रय प्रमाण पत्र जारी करना-**

संघ या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी या वन मंडलाधिकारी क्रेता को तेंदूपत्तों के परिदान के पश्चात् छत्तीसगढ़ तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) नियमावली, 1966 के अंर्तगत प्रावधानित प्रारूप "ठ" में उसका विक्रय प्रमाण - पत्र प्रदान करेगा ।

10. **करारनामे का अनुपालन-**

यदि पूर्वोक्त एवं निविदा सूचना में विनिर्दिष्ट परिवहन/निकासी तथा क्रय की शर्तों का पूर्णतः पालन/ परिपालन नहीं किया जाता है, तो पत्तों को क्रय किया गया नहीं समझा जावेगा ।

11. **प्रतिभूति निक्षेप-**

(I) क्रेता अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों तथा भारतीय वन अधिनियम, 1927 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के द्वारा या अधीन जहां तक कि वे इस करार के संदर्भ में लागू होते हों, उसके द्वारा किये जाने के लिए अपेक्षित समस्त कार्यों तथा कर्तव्यों को करने तथा निषिद्ध किये गये किसी कार्य के स्वयं द्वारा उसके सेवकों तथा अभिहस्तांकितियों द्वारा किये जाने से विरत रहने के लिए स्वयं को आबद्ध करता है और अपने द्वारा तथा अपने सेवकों तथा अभिहस्तांकितियों द्वारा इस करार के निबंधनों तथा शर्तों के सम्यक् पालन तथा अनुपालन किए जाने के लिए मुख्य वन संरक्षक के पक्ष में उसके द्वारा निविदा सूचना के प्रावधानों के अनुसार रूपये..... की राशि प्रतिभूति के रूप में नियमानुसार निक्षेपित की गई है ।

(II) यह प्रतिभूति निक्षेप, यथास्थिति या तो पूर्णतः या आंशिक रूप में वन मण्डलाधिकारी द्वारा अधिनियम, नियमावली, करारनामा तथा इन शर्तों के उपबंधों के अधीन क्रेता से वसूली योग्य किसी रकम, क्रय मूल्य सहित, यदि कोई हो, के प्रति समायोजित किया जा सकता है और समस्त ऐसी कटौतियों की पूर्ति क्रेता द्वारा इस आशय की सूचना जारी होने के 15 दिन के भीतर उतनी ही रकम जमा करके की जावेगी ।

(III) यदि क्रेता से वसूल की जाने वाली बकाया राशि प्रतिभूति निक्षेप की रकम से अधिक हो, तो अधिक होने वाली रकम, जब तक कि उसकी पूर्ति वन मण्डलाधिकारी को उस आशय की सूचना जारी होने के पन्द्रह दिन के भीतर न की जाये, भू-राजस्व के बकाया की बतौर वसूली के योग्य होगी ।

(IV) प्रतिभूति निक्षेप या अवशेष राशि (बैंक गारंटी को छोड़कर) जैसी भी स्थिति हो, में से क्रय मूल्य की 5 प्रतिशत की राशि बैंक गारंटी या नगद राशि, जैसा कि क्रेता चाहे, रोकते हुए, वन मण्डलाधिकारी की संतुष्टि कि क्रेता के द्वारा क्रेता करारनामें के समस्त निबंधनों एवं शर्तों, अधिनियम, नियमावली तथा निविदा सूचना की शर्तों का पालन किया गया है और कोई भी राशि उसके विरूद्ध शेष नहीं निकलती है, के पश्चात् गोदाम से प्रदाय की दशा में अंतिम किश्त के विरूध्द तथा फड़ से पत्ता मुक्त होने की दशा में अंतिम भुगतान के विरूद्व समायोजित कर ली जावेगी ।

(V) उपरोक्तानुसार उप क्रडिका (IV) में दर्शाये समायोजन के उपरान्त अवशेष प्रतिभूति निक्षेप की बैंक गारंटी/नगद राशि वन मण्डलाधिकारी की संतुष्टि, कि क्रेता के द्वारा क्रेता करारनामें के समस्त निबंधनों

एवं शर्तों, अधिनियम, नियमावली तथा निविदा सूचना की शर्तों का पालन किया गया है और कोई भी राशि उसके विरूद्ध शेष नहीं निकलती है, के पश्चात् क्रेता को वापस कर दी जावेगी ।

12. अधिनियम का उल्लंघन आदि-

क्रेता यह करार करता है कि वह उसके अथवा उसके द्वारा नियोजित किए गए व्यक्तियों के द्वारा अधिनियम, नियमावली और इस करारनामे के प्रावधानों के किए गए प्रत्येक उल्लंघन के लिए संघ/शासन को रूपया 1000/- (एक हजार) तक की राशि की देनगी करेगा ।

13. शास्तियां-

यदि क्रेता करार की किसी भी शर्त को भंग करें और यदि ऐसे भंग के कारण करार को समाप्त करना प्रस्तावित न हो तो जिला यूनियन के प्रबंध संचालक प्रत्येक भंग के लिए ऐसी शास्ति जो रूपये 1000/- (एक हजार) से अधिक न हो, अधिरोपित कर सकेगा। यदि शास्ति की राशि रूपये 500/- (पांच सौ) से अधिक हो, तो इस आदेश के विरूद्ध आदेश जारी होने के 30 दिन की अवधि के भीतर अपील मुख्य वन संरक्षक को की जा सकेगी, जिसका विनिश्चय अंतिम तथा बंधनकारी होगा ।

14. क्रेता के करारनामे की समाप्ति-

(I) यदि क्रेता प्रथम किश्त तृतीय किश्त की देय तिथि के पूर्व या द्वितीय किश्त चतुर्थ किश्त की देय तिथि के पूर्व या तृतीय किश्त चतुर्थ किश्त की देय तिथि के पूर्व या अंतिम किश्त उसकी देय तिथि के 15 दिन के अन्दर या अन्य कोई देय राशि 15 दिन के अन्दर अदा नहीं करता है या इस प्रलेख के उपबंधों में से किसी भी उपबंध का अनुवर्तन करने में चूक करता है, तो ऐसे किन्हीं भी अधिकार तथा उपचारों पर जो मुख्य वन संरक्षक को प्राप्त हो, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मुख्य वन संरक्षक अपने विवेक पर इस करार को क्रेता को 15 दिन का नोटिस देकर एवं उसे सुनवाई का अवसर देकर समाप्त कर सकेगा और क्रेता का नाम पाँच वर्ष तक की कालावधि के लिये काली सूची में दर्ज कर सकेगा ।

(II) करार की समाप्ति का आदेश क्रेता को व्यक्तिशः परिदत्त किया जावेगा या रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजा जावेगा । करार की समाप्ति करार के समाप्त करने के आदेश के दिनांक से प्रभावी होगी ।

(III) करार की समाप्ति पर संघ, निम्नलिखित के लिए हकदार होगा :-

(अ) संपूर्ण प्रतिभूति निक्षेप की राशि को अधिहरित करने ।

(ब) गोदाम में रखे तेंदूपत्ते के स्कंध, जिसका भुगतान कर दिया गया है परन्तु गोदाम से निकासी नहीं की हो को संघ के पक्ष में अधिहरित करने तथा गोदाम में दोहरे ताले से क्रेता का नियंत्रण समाप्त करने, परंतु यदि क्रेता शर्त 14 (IV) के अनुसार लाट के पुर्नजीवन का इच्छुक है, तो क्रेता करारनामे की शर्त क्रमांक 6 (5) के अनुसार दिनांक 01.05.2018 से न्यूनतम दिनांक 31.10.2018 तक की बीमा पालिसी प्रबन्ध संचालक जिला यूनियन के कार्यालय में प्रस्तुत करेगा तथा लाट को किसी अन्य क्रेता को पुनः विक्रय तक वह गोदाम परिसर में चोरी तथा अग्नि से बचाव हेतु सुरक्षाकर्मी रख सकेगा ताकि पुर्नजीवन की दशा में पत्ते की मात्रा के संबंध में कोई विवाद न रहें । करार समाप्ति पर तुरन्त गोदाम से अपने ताले को हटाने का दायित्व क्रेता का होगा तथा इसकी पुष्टि हेतु वह प्रबंध संचालक, जिला यूनियन से पत्र प्राप्त करेगा ।

(स) (एक) गोदाम में रखे तेंदूपत्ते का, जिसके लिये देय राशि का भुगतान नहीं किया गया है तथा गोदाम में रखे तेंदूपत्ते के उस स्कंध का जो संघ के पक्ष में शर्त क्रमांक 14 (III) (ब) के अधीन अधिहरित किया गया है का विक्रय करने और हानि की वसूली करने । ऐसी हानि क्रेता द्वारा कंडिका 7 के अंर्तगत प्रस्तुत बैंक गारंटी, यदि प्रस्तुत की गई हो, के नगदीकरण तथा साथ ही गोदाम में रखे तेंदूपत्ते, जिसके लिये देय राशि का भुगतान नहीं किया गया है तथा गोदाम में रखे तेंदूपत्ते, जो संघ के पक्ष में शर्त क्रमांक 14 (III) (ब) के अधीन अधिहरित किया गया है, के विक्रय से भी वसूली योग्य होगी । यदि लाट का पुनः विक्रय करारनामा समाप्ति के आदेश के उपरांत प्रथम निविदा/नीलाम में नहीं हो पाता है अथवा पुनः विक्रय की स्वीकृति के पूर्व तेन्दूपत्ता अग्नि से नष्ट हो जाता है तो लाट का विक्रय मूल्य शून्य मानकर क्रेता से हानि वसूली की कार्यवाही की जावेगी । यदि पश्चातवर्ती निविदा/नीलाम में लाट का पुनर्विक्रय हो जाता है तो प्राप्त क्रय मूल्य अथवा बीमा से प्राप्त राशि का

समायोजन हानि की राशि में किया जावेगा । यदि हानि की वसूली हो चुकी हो तो ऐसी दशा में प्राप्त क्रय मूल्य क्रेता को भुगतान कर दिया जावेगा परन्तु ऐसी राशि पर क्रेता को कोई ब्याज देय नहीं होगा । करारनामा समाप्त होने की दशा में प्रथम क्रेता से हानि की वसूली हेतु गणना निम्नानुसार की जावेगी :-

संबंधित निविदा/नीलाम से समस्त करों सहित संभावित प्राप्तियां (+) पुनः निर्वर्तन तक गोदामीकरण, पर्यवेक्षण तथा बीमा इत्यादि का व्यय (-) पश्चातवर्ती निविदा/नीलाम से समस्त करों सहित प्राप्तियां ।

(दो) इसके पश्चात् भी कोई हानि की वसूली शेष हो तो, ऐसी शेष हानि की राशि को भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल करने,

(तीन) यदि ऐसे पुनः विक्रय पर लाट के लिये देय राशि से अधिक राशि प्राप्त होती है तो, संघ पूर्ण राशि प्रतिधारित करने का हकदार होगा और क्रेता का उस पर कोई अधिकार या दावा नहीं होगा ।

(द) हानि की वसूली के लिये किये गये समस्त खर्चे एवं व्यय वसूल करने,

(ई) अधिरोपित की गई समस्त शास्तियां तथा निर्धारित क्षतिपूर्ति, जिसका भुगतान नहीं हुआ हो वसूल करने,

(IV)(अ) यदि करारनामा समाप्ति के उपरांत एवं पत्तों की पुनः विक्रय की कार्यवाही के पूर्व परन्तु दिनांक 30.09.2018 के पश्चात नहीं, बकायादार क्रेता द्वारा संघ को देय समस्त धनराशि जिसमें देय राशि, ब्याज, समस्त देयकर एवं उपकर, अधिरोपित शास्तियां तथा रूपये 10000/- पुर्नजीवन शुल्क आदि विशेष रूप से सम्मिलित होंगे, का पूर्ण भुगतान प्रबंध संचालक जिला यूनियन के कार्यालय में कर दिया जाता है तथा यदि क्रेता करारनामा की शर्त क्रमांक 6(5) के अनुसार 31.10.2018 तक की बीमा पालिसी क्रेता द्वारा जिला यूनियन कार्यालय में जमा कर दी जाती है, तो संघ के प्रबंध संचालक अपने स्वविवेक से उक्त करार को पुर्नजीवित कर सकेंगे और करार अवधि को आवश्यक होने पर दिनांक 30.09.2018 तक बढ़ा सकेंगे तथा उपरोक्तानुसार समस्त देय राशि एवं पुर्नजीवन शुल्क के पूर्ण भुगतान के उपरांत ही तेंदूपत्ते के स्टाक को निकासी/परिवहन की अनुमति दी जावेगी ।

(ब) यदि क्रेता शर्त क्रमांक 14(IV)(अ) में वर्णित सुविधा नहीं लेना चाहता है एवं लाट के अवशेष क्रय मूल्य के भुगतान की किश्तवार सुविधा प्राप्त करना चाहता है तथा यदि क्रेता करारनामा की शर्त क्रमांक 6(5) के अनुसार दिनांक 31.10.2018 तक की बीमा पालिसी क्रेता द्वारा जिला यूनियन कार्यालय में जमा कर दी जाती है, तो क्रेता के आवेदन पर संघ के प्रबंध संचालक यदि चाहें तो स्वविवेक से क्रेता को किश्तवार भुगतान की सुविधा दे सकेंगे एवं उक्त करार को पुनर्जीवित कर सकेंगे, परन्तु इस स्थिति में क्रेता को देय किश्तों की पूर्ण राशि, समस्त देय कर/उपकर, अधिरोपित शास्तियों की राशि, किश्तों की निर्धारित तिथि से विलम्बित अवधि के लिये देय राशि पर 0.045% प्रतिदिन की दर से ब्याज एवं रूपये 10000/- पुर्नजीवन शुल्क देना होगा । पुनरीक्षित किश्तों की तिथियां प्रबंध संचालक, संघ स्वविवेक से निर्धारित कर सकेंगे, परन्तु किस्त की कोई भी देय तिथि या बढ़ी हुई करार अवधि दिनांक 30.09.2018 के उपरांत नहीं होगी । क्रेता को आवेदन के साथ रूपये 10000/- पुर्नजीवन शुल्क एवं न्यूनतम एक देय किश्त की राशि मय देय कर/उपकर तथा किश्त पर देय ब्याज के साथ जमा करना होगी । संशोधित किश्त की तिथि को किश्त एवं देय ब्याज की राशि जमा न करने पर मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक के द्वारा बगैर कोई कारण बताओ सूचना पत्र के क्रेता करारनामा पुनः समाप्त कर दिया जावेगा । बढ़ी हुई करार अवधि में समस्त देय राशियों का भुगतान न होने पर करारनामा स्वमेव पुनः समाप्त हो जावेगा ।

(V) जब भी करार को पुनर्जीवित किया जाता है तो समाप्ति के कारण अधिहरित प्रतिभूति निक्षेप स्वतः प्रत्यावर्तित हो जावेगी तथा क्रेता पुनः गोदाम पर संघ के साथ दोहरे ताला लगा सकेगा ।

(VI) तथापि यदि क्रेता का करारनामा समाप्त नहीं किया गया है एवं करार अवधि समाप्त हो चुकी है परन्तु पूर्ण देय राशि का भुगतान नहीं किया गया है, तो भी संघ शर्त क्रमांक 14(III) के अनुसार हकदार होगा तथा क्रेता शर्त क्रमांक 14 (IV) तथा V के अनुसार कार्यवाही कर सकेगा ।

15. लेखाओं का रख-रखाव -

क्रेता ऐसे प्रपत्रों में ऐसे लेखा एवं ऐसे अभिलेख संग्रहण केन्द्रों, गोदामों एवं अन्य स्थानों पर रखेगा, तथा ऐसी पाक्षिक विवरणियां ऐसी तिथियों को या उनके पूर्व प्रस्तुत करेगा जैसा जिला यूनियन के प्रबंध संचालक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये जाए । संग्रहण केन्द्रों, गोदामों एवं अन्य स्थानों पर रखे जाने वाले अभिलेख किसी भी वन अधिकारी एवं प्रबंध संचालक जिला यूनियन द्वारा अधिकृत व्यक्ति को निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किये जावेंगे । प्रबंध संचालक, जिला यूनियन के द्वारा इस संबंध में दिये गये निर्देशों का पालन न करना क्रेता करारनामे का उल्लघन माना जावेगा ।

16. क्रेता के द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन -

क्रेता ऐसे समस्त कार्यों एवं कर्तव्यों, जो उसके द्वारा किये गये जाने के लिए अपेक्षित है, का निर्वहन करेगा और अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों द्वारा या उनके अधीन निषिद्ध ऐसे कार्य जहां तक ये इस करार के संदर्भ में असंगत न हो, स्वयं के या उसके सेवकों या अभिकर्ताओं द्वारा किये जाने से प्रविरत रहेगा ।

17. (I) शाखकर्तन -

(अ) लाट की समस्त फड़ों के राजस्व एवं वन क्षेत्रों में शाखकर्तन का कार्य प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के द्वारा कराया जावेगा ।

(ब) क्रेता लाट की समस्त फड़ों के वन क्षेत्रों में शाखकर्तन (Pruning) तथा तेन्दूपत्ता संग्रहण इत्यादि के दौरान दिनांक 15.02.2017 से 15.04.2017 तक सुनिश्चित करेगा कि इन कार्यों से वनों को आग एवं तेन्दूपत्ता के वृक्षों को अवैध कटाई से हानि न पहुँचे । उक्त अवधि में वृक्षों की अवैध कटाई अथवा तेन्दू के वृक्षों की शाखाओं की कटाई और वनों को अग्नि लगाना पूर्णतः वर्जित होंगे । क्रेता न केवल उपरोक्त हानि से रोकेगा, वरन वन विभाग को उपरोक्त हानि के होने की सूचना तथा उसके रोकने में सक्रिय और सामयिक सहयोग देगा । लाट की समस्त फड़ों के वन क्षेत्रों में दिनांक 15.02.2017 से 15.04.2017 की अवधि के दौरान वनों में पाई गई तेन्दू वृक्षों की अवैध कटाई और अग्नि से हुई हानि की पूर्ण जवाबदारी क्रेता की होगी ।

(II) वनों की हानि -

यदि क्रेता शर्त क्रमांक -17 I (ब) के अनुसार लाट की किसी फड़ के वन क्षेत्र को दिनांक 15.02.2017 से 15.04.2017 की अवधि में तेन्दू वृक्षों की अवैध कटाई या आग से नहीं बचा पाता है तो हानि की राशि, जिसका कि निर्धारण मुख्य वन संरक्षक के द्वारा किया जावेगा, जो कि अन्तिम एवं क्रेता पर बंधनकारी होगा, की वसूली के अतिरिक्त संग्रहित मात्रा के आधार पर क्रय मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर तक की राशि क्रेता द्वारा जमा की गई 25 प्रतिशत की प्रतिभूति की राशि में से मुख्य वन संरक्षक द्वारा अधिहरित कर ली जावेगी ।

18. तेंदूपत्ता का परिवहन और अनुज्ञापत्र जारी करना -

क्रेता तेंदूपत्तों का परिवहन सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये परिवहन अनुज्ञा पत्र के बिना जैसा कि अधिनियम और नियमावली में अनुध्यात है, नहीं करेगा । लाट का अंतिम परिवहन अनुज्ञा पत्र क्रेता के द्वारा समस्त देय राशियों के भुगतान करने पर ही जारी किया जावेगा ।

19. स्टाम्प शुल्क का भुगतान -

छत्तीसगढ़ राज्य में लागू हुये रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 और न्यायालय फीस अधिनियम 1870 और उनके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों का सभी समयों पर क्रेता पालन करेगा ।

20. प्रथम प्रभार -

(एक) यथास्थिति क्रय मूल्य या उनकी अतिशेष ऐसी समस्त रकम, जो निविदा सूचना के निबंधनों तथा शर्तों तथा इस करार के निबंधनों तथा शर्तों, अधिनियम और नियमों के अधीन देय है, क्रेता द्वारा तेंदूपत्ता के लिए गये परिदान पर प्रथम प्रभार होगी ।

(दो) क्रेता तेंदूपत्तों का निर्यात या बीड़ी बनाने के लिए उनका उपयोग या किसी अन्य प्रकार से उनका व्ययन तब तक नहीं करेगा, जब तक कि यह प्रभार पूर्णतः उन्मोचित न कर दिया जाये ।

21. **न्यायालय की अधिकारिता** -

(एक) इस करार के अधीन उद्‌भूत होने वाला कोई विवाद, छत्तीसगढ़ न्यायालयों की अधिकारिता अध्याधीन होगा ।

(दो) यदि कोई क्रेता शासन/संघ के विरूद्ध न्यायालय में जाता है तथा निर्णय शासन/संघ के पक्ष में होता है तो क्रेता न्यायालयीन कार्यवाही के कारण वनोपज के मूल्य में हुई कमी के लिये उत्तरदायी होगा, इसकी वसूली क्रेता से ब्याज सहित की जावेगी ।

जिसके साक्ष्य में, इसमें उपर लिखित दिनांक तथा सन् को मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक ने यहां अपने हस्ताक्षर किये हैं तथा अपने कार्यालय की सील लगाई है और उपर नामित क्रेता (क्रेताओं) ने अपने/उनके अपने-अपने हस्ताक्षर किये हैं ।

निम्नलिखित साक्षियों की उपस्थिति में मुख्य वन संरक्षक एवं संघ के पदेन महाप्रबंधक द्वारा हस्ताक्षर किये गये, सील लगाई गई और परिदत्त किया गया ।

साक्षीगणः-

1. .....
(हस्ताक्षर)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा उनकी ओर से

नाम एवं डाक का पूरा पता

2. .....
(हस्ताक्षर)

मुख्य वन संरक्षक एवं संघ के पदेन महाप्रबंधक

नाम एवं डाक का पूरा पता ---------- वृत्त

निम्नलिखित साक्षियों की उपस्थिति में उपर नामित क्रेता द्वारा हस्ताक्षर किये गयेः-

साक्षीगणः-

1. .....
(हस्ताक्षर)

नाम एवं डाक का पूरा पता

क्रेता/क्रेताओं के हस्ताक्षर

नाम-.....

डाक का पता-.....

2. .....
(हस्ताक्षर)

नाम एवं डाक का पूरा पता